न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 55 / 2021

राधेश्याम पुरोहित पुत्र स्व0 श्री पूरनाराम ग्राम फतेहपुर कलां पोस्ट मूडौती तहसील नगर जिला भरतपुर।

बनाम

प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 03.08.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है राधेश्याम पुरोहित पुत्र स्व0 श्री पूरनाराम ग्राम फतेहपुर कलां पोस्ट मूडौती तहसील नगर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 25.05.2021 प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गई थी। प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 457 दिनांक 20.07.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बावत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से उनके पत्र कमांक 5201 दिनांक 02.08.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाब पत्र कमांक 5201 दिनांक 02.08.2021 का अवलोकन किया गया। प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने अपने जबाब पेश करते हुये अपीलार्थी को प्रेषित पत्र कमांक 3085 दिनांक 04.06.2021 की प्रति भी भिजवाई गई है जिसमें अपीलान्ट को सूचित किया गया है कि दिनांक 09.5.2019 को अपीलान्ट द्वारा प्रेषित परिवाद उपखण्ड अधिकारी नगर को भेजा जा चुका है तथा वांछित सूचना के बिन्दु संख्या 1 व 2 के सबंध में उपखण्ड अधिकारी नगर से सूचना प्राप्त करे। इससे जाहिर होता है कि रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

जिला कलेक्टर
भरतपुर (राज0

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित्र की जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर को भी भेजी जावे।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर